झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :— 2/पी०एम०सी०/कार्य—318/2014— .... /राँची, दिनांक ....

प्रेषक,

ई० सुनील कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड/बिहार
पो०—हिनू, राँची/पटना।

द्वारा :— आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :— **लपसिया वीयर योजना के मुख्य नहर का लाईनिंग सहित ई०आर०एम० (Extension, Renovation & Modernisation) कार्य के लिये रू० 99,21,400.00 (रूपये निनानवे लाख इक्कीस हजार चार सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

आदेश—स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग प्रक्षेत्राधीन रामगढ जिलान्तर्गत गोला प्रखण्ड में बरगा ग्राम के निकट लपसिया नदी पर निर्मित लपसिया वीयर योजना के मुख्य नहर का लाईनिंग सहित ई०आर०एम० (Extension, Renovation & Modernisation) कार्य के लिये रू० 99,21,400.00 (रूपये निनानवे लाख इक्कीस हजार चार सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।।

3. प्रस्तुत प्राक्कलन में नहर तल में उगे जंगल—झाड़ी सफाई एवं जमा सील्ट हटाने का प्रावधान है। नहर के चेन संख्या 11.90 पर बॉक्स पुलिया है जिसका पारापेट के साथ—साथ आउटलेट का पारापेट एवं फॉल का ऊपरी भाग उखड़ गया है उस पर 3'' पी०सी०सी० का भी प्रावधान है। नहर के चेन संख्या 37.50 एवं 39.00 पर नहर बैंक क्षतिग्रस्त है उसके दुरूस्त कराने का भी प्रावधान है। नदी तल की मिट्टी दूसरे जगह पर फेंकने के लिए ऊँचाई एवं दूरी के अनुसार एक लिफ्ट एवं एक अदद् लीड का प्रावधान किया गया है।

4. प्रस्तावित कार्य को 12 (बारह) महीने की अवधि में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्य को वर्ष 2014—15 में प्रारम्भ कर वर्ष 2015—16 में पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

5. सिंचाई क्षमता वर्तमान में 190 हे० है, जो योजना के पूर्ण होने के पश्चात् 240 हे० हो जायगी। इस प्रकार 50 अतिरिक्त हे० में सिंचाई क्षमता का वृद्धि होगी।

6. इस योजना का लाईनिंग सहित Incidence of Cost रू० 1,98,428/— प्रति हेक्टेयर है।

7. इस योजना में होने वाला कुल व्यय

(i) मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप– मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष –796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष 54– पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई०आर०एम०, विस्तृत शीर्ष– 05– निर्माण, 43– अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री), तथा

(ii) मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप– मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष –800– अन्य व्यय, उपशीर्ष 54– पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई०आर०एम०, विस्तृत शीर्ष– 05– निर्माण, 43– अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री), के अन्तर्गत राज्य योजना मद में प्रावधानित राशि के अधीन विकलनीय होगा।

8. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग होंगे।

9. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

10. (i) कार्य कराने के पूर्व असंबद्ध प्रमण्डल द्वारा मापी एवं मरम्मति कार्य के मात्रा की जॉच करा ली जायेगी।

(ii) नहर के तटबंध में मिट्टी भराई का कार्य हेतु यथासंभव मिट्टी नहर के बेड से प्राप्त की जायेगी तथा इसके लीड एवं लिफ्ट (Lead & Lift) की गणना, कार्यस्थल के वास्तविक स्थिति के अनुसार की जायेगी जिससे कार्यपालक अभियंता संतुष्ट हो लेंगे, जिसकी जिम्मेवारी उनके स्वयं की होगी।

11. कार्य के प्राक्कलन एवं इसके प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

12. प्रस्तावित कार्य की निकासी रामगढ़, हजारीबाग कोषागार से की जायेगी।

13. प्रस्तावित कार्य के लिए वर्ष 2014–15 के बजट में उपबंध है।

14. प्रस्ताव पर माननीया मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

15. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

16. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

17. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

18. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, रॉची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(सुनील कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक :– 2/पी०एम०सी०/कार्य–318/2014– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची एवं योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(सुनील कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक :– 2/पी०एम०सी०/कार्य–318/2014– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(सुनील कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक :– 2/पी०एम०सी०/कार्य–318/2014– 41/14-15 प्र.स्थी. /राँची, दिनांक 10.10.2014

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, हजारीबाग/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/10/14
(सुनील कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)
10/10/14